रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D (D.N.)-72

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 299] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 11, 1982/आश्विन 19, 1904
No. 299] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 11, 1982/ASVINA 19, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 11 अक्तूबर, 1982

(सं० 221/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क)

सा०का०नि० 603(अ) :—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 78/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 28 फरवरी, 1982 को अधिक्रान्त करते हुए केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 22 की उपमद (1) के अन्तर्गत आने वाले कृत्रिम फैब्रिक को उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है।

[फा०सं० 349/1/82-टी०आर०यू०]

## MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 11th October, 1982

(NO. 221/82-CENTRAL EXCISES)

**G.S.R. 603(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 78/82-Central Excises, dated the 28th February, 1982, the Central Government hereby exempts man-made fabrics, falling under sub-item (1) of Item No. 22 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from the whole of the duty of excise leviable thereon under section 3 of the said Act

[F. No. 349/1/82-TRU]

(सं० 222/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क)

सा०का०नि० 604(अ) :—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 76/69-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 1 मार्च, 1969 को अधिक्रान्त करते हुए केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 22 की उपमद (2) के अन्तर्गत आने वाले कृत्रिम फैब्रिक को, जिसका विनिर्माण उदग्र प्रकार की स्वचालित धरनी कसीदाकारी मशीन से भिन्न मशीन पर किया जाता है, उक्त अधिनियम के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय उतने उत्पाद शुल्क से छूट देती है जितना उक्त अधिनियम के अधीन मूल कृत्रिम फैब्रिक पर, ऐसे फैब्रिक को कसीदाकारी की प्रक्रिया के अधीन किए जाने से पूर्व, उदग्रहणीय उत्पाद-शुल्क से अधिक है।

[फा०सं० 349/1/82-टी आर यू]

(NO. 222/82-CENTRAL EXCISES)

**G.S.R. 604(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 76/69-Central Excises, dated the 1st March, 1969, the Central Government hereby exempts man-made fabrics, falling under sub-item (2) of Item No. 22 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), manufactured on machines, other than vertical type automatic shuttle embroidery machines, from so much of the duty of excise leviable thereon under the said Act, as is in excess of the duty of excise leviable on the base man-made fabrics under the said Act before such fabrics are subjected to the process of embroidery.

[F. No. 349/1/82-TRU]

(सं० 223/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क)

सा०का०नि० 605(अ) :—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 की नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 84/71-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 29 मई, 1971 को अधिक्रान्त करते हुए केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 22 की उपमद (2) के अन्तर्गत आने वाले कृत्रिम फैब्रिक को उक्त अधिनियम के अधीन उस पर उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर से उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क की उतनी रकम से छूट देती है जितनी—

(क) उक्त अधिनियम के अधीन मूल फैब्रिक पर उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क से, यदि उसका पहले ही संदाय नहीं कर दिया गया है; और

(ख) ऐसे कृत्रिम फैब्रिक पर मूल्य के पांच प्रतिशत की, दर से संगणित रकम से अधिक है :

परन्तु इस अधिसूचना में अन्तर्विष्ट कोई बात ऐसे विनिर्माता को लागू नहीं होगी जो मूल फैब्रिक पर संदत्त शुल्क की वापस केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 56क के अधीन विहित विशेष प्रक्रिया का लाभ उठाता है।

[फा०सं० 349/1/82-टी०आर०यू०]

(No. 223/82-CENTRAL EXCISES)

**G.S.R. 605(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 84/71-Central Excises, dated the 29th May, 1971, the Central Government hereby exempts man-made fabrics, falling under sub-item (2) of Item No. 22 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from so much of the duty of excise leviable thereon under the said Act at the rate specified in the said First Schedule, as is in excess of the amount calculated at the rate of :—

(a) the duty of excise leviable on the base fabrics under the said Act, if not already paid; and

(b) five per cent. ad valorem on such man-made fabrics ;

Provided that nothing contained in this notification shall apply to a manufacturer who avails of the special procedure prescribed under rule 56A of the Central Excise Rules, 1944, in respect of the duty paid on the base fabrics.

[F.No. 349/1/82-TRU]

(सं० 224/82—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क)

सा०का०नि० 606(अ) :—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 77/69-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 1 मार्च, 1982 को अधिक्रान्त करते हुए केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 22 की उपमद (2) के अन्तर्गत आने वाली कृत्रिम फैब्रिक की चिन्दियों को उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट देती है।

स्पष्टीकरण :—इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए "चिन्दियों" से कृत्रिम फैब्रिक के वास्तविक सामान्य कटे टुकड़े अभिप्रेत हैं जिनकी लम्बाई 23 सैंटीमीटर या उससे कम है।

[फा०सं० 349/1/82-टी०आर०यू०]

(No. 224/82-CENTRAL EXCISES)

**G.S.R. 606(E)** .—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 77/69-Central Excises, dated the 1st March, 1969, the Central Government hereby exempts chindies of man-made fabrics, falling under sub-item (2) of Item No. 22 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from the whole of the duty of excise leviable thereon under section 3 of the said Act.

EXPLANATION.—For the purpose of this notification "chindies" means genuine normal cut pieces of man-made fabrics which are 3 centimeters or less in length.

[F. No. 349/1/82-TRU]

(सं० 225/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क)

सा०का०नि० 607 (अ)—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं० 100/77-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 3 जून, 1977 को अधिक्रान्त करते हुए अल्प घनत्व पोलीथिलीन की निर्मितियों से लेपित या पटलित सभी किस्म के टैक्सटाइल फैब्रिक को केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से छूट दे दी है।

[फा० सं० 349/1/82-टी०आर०यू०]

(No. 225/82-CENTRAL EXCISES)

**G.S.R. 607(E)** .—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking, No. 100/77-Central Excises, dated the 3rd June, 1977, the Central Government hereby exempts all varieties of textile fabrics coated or laminated with preparations of low density polythelene from the whole of the duty of excise leviable thereon under section 3 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944).

[F.No. 349/1/82-TRU]

(सं० 226/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क)

सा०का०नि० 608 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 31/81-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 1 मार्च, 1981 को अधिक्रान्त करते हुए केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 22 की उपमद (4) के अन्तर्गत आने वाले कृत्रिम फैब्रिक को उक्त अधिनियम के अधीन उस पर उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट दर से उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क की उतनी रकम से छूट देती है जितनी—

(क) उक्त अधिनियम के अधीन मूल फैब्रिक पर उद्ग्रहणीय उत्पाद-शुल्क की, यदि उसका पहले ही संदाय नहीं कर दिया गया है; और

(ख) ऐसे कृत्रिम फैब्रिक पर मूल्य के पंद्रह प्रतिशत की, दर से संगणित रकम से अधिक है :

परन्तु इस अधिसूचना में अन्तर्विष्ट कोई बात ऐसे विनिर्माता को लागू नहीं होगी जो मूल फैब्रिक पर संदत्त शुल्क की वापस केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 56क के अधीन विहित विशेष प्रक्रिया का लाभ उठाता है।

[फा० सं० 349/1/82-टी०आर०यू०]

(No. 226/82-CENTRAL EXCISES)

**G.S.R. 608(E)**.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944 and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 31/81-Central Excises, dated the 1st March, 1981 the Central Government hereby exempts man-made fabrics falling under sub-item (4) of Item No. 22 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) from so much of the duty of excise leviable thereon under the said Act at the rate specified in the said First Schedule, as is in excess of the amount calculated at the rate of :—

(a) the duty of excise leviable on the base fabrics under the said Act, if not already paid; and

(b) fifteen per cent. ad valorem on such man-made fabrics :

Provided that nothing contained in this notification shall apply to a manufacturer who avails of the special procedure prescribed under rule 56A of the Central Excise Rules, 1944, in respect of the duty paid on the base fabrics.

[F.No. 349/1/82-TRU]

(सं० 227/82-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क)

**सा० का० नि०** 609 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचना सं० 2/77-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 15 जनवरी, 1977 को अधिक्रान्त करते हुए केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 22 के अन्तर्गत आने वाले और इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट वर्णन के कृत्रिम फैब्रिक को केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) और अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58), दोनों, के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद-शुल्क से उक्त स्तम्भ (3) और (4) में की तत्स्थानी प्रविष्टियों में अधिकथित सीमाओं और शर्तों के अधीन रहते हुए छूट देती है, अर्थात् :—

सारणी

| क्रम सं० | वर्णन | सं० और आकार की बाबत सीमाएं | शर्तें |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | कृत्रिम फैब्रिक-साड़ियां | पूरी साड़ी का टुकड़ा | भारत से बाहर ऐसे फैब्रिक के निर्यात पर शुल्क की छूट को संगणित करने के प्रयोजनों के लिए सूत अन्तर्वस्तु के अवधारण के लिए निकाला गया हो। |
| 2. | कृत्रिम फैब्रिक-साड़ियां | साड़ियों के परेषण में से, जिसका मूल्य प्रमाणपत्र के प्रयोजन के लिए पचास हजार रुपए से कम है, वहां जहां साड़ी की कीमत एक सौ रुपए से कम है पूरी चौड़ाई सहित 0.9 मीटर या जहां कीमत एक सौ रुपए या उससे अधिक है पूरी चौड़ाई सहित पन्द्रह सेंटी मीटर लम्बा कसीदाकारी की हुई साड़ियों की बाबत पत्रकार को आवेदन में यह घोषणा करनी होगी कि कसीदाकारी में उपयोग की गई सामग्री के लिए निर्यात संवर्धता का फायदा नहीं उठाया गया है। | टेक्सटाइल समिति के अधिकारियों द्वारा निकाला गया हो। |
| 3. | कृत्रिम फैब्रिक-साड़ियों से भिन्न। | फैब्रिक के प्रत्येक पांच हजार मीटर या उसके भाग में से पूरी चौड़ाई सहित एक मीटर लम्बा एक नमूना। | टेक्सटाइल समिति के अधिकारियों द्वारा निकाला गया हो। |
| 4. | कृत्रिम फैब्रिक। | पूरी चौड़ाई सहित अधिक से अधिक 46 सेंटीमीटर लम्बा परन्तु इस मद को उपमद (2) और उपमद (3) के अन्तर्गत आने वाले फैब्रिकों के मामले में नमूनों की अधिकतम मात्रा पूर्वगामी मास के दौरान गृह उपयोग के लिए विशिष्ट माल की कुल मूल्य संदत्त निकासियों के 0.01 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। | सद्भाविक व्यापार प्रयोजनों के लिए निकाला गया हो। |
| 5. | कृत्रिम फैब्रिक | पूरी चौड़ाई सहित अधिक से अधिक 92 सेंटीमीटर लम्बा। | विदेशी बाजार के लिए नमूनों के रूप में निकाला गया हो। |

[फा० सं० 349/1/82-टी०आर०यू०]

(No. 227/82-CENTRAL EXCISES)

**G.S.R. 609(E)**.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, and in supersession of the notification of the Government of India in the Department of Revenue and Banking No. 2/77-Central Excises dated the 15th January, 1977, the Central Government hereby exempts samples of man-made fabrics, falling under Item No.22 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), of the description specified in column (2) of the Table hereto annexed, from the whole of the duty of excise leviable thereon both under the Central Excises and Salt Act 1944(1 of 1944) and the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), subject to the

limitations and conditions laid down in the corresponding entries in columns (3) and (4) thereof, namely :—

TABLE

| Sl. No. | Description | Limitation with regard to number and size | Conditions |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Man-made fabrics sarees. | Full piece of saree | Drawn for determining yarn contents for the purposes of calculating rebate of duty on export of such fabrics out of India. |
| 2. | Man-made fabrics sarees. | 0.9 metre or 15 centimetres in length by full width, where the cost of a saree is less than one hundred rupees or, as the case may be, one hundred rupees or more, from the consignment of the sarees the value of the consignment being less than 50,000 rupees for certificate purpose. In respect of embroidered sarees, the party shall be required to furnish a declaration in the application that export assistance benefit has not been claimed for material used in the embroidery. | Drawn by the officers of the Textile Committee. |
| 3. | Man-made fabrics other than sarees. | One sample of one metre in length by full width for every 5000 metres or part thereof of the fabrics. | Drawn by the officers of the Textile Committee. |
| 4. | Man-made fabrics. | Not exceeding 46 centimetres in length by full width : Provided that in the case of fabrics falling under sub-item (2) and (3) of this item, the maximum quantity of samples shall not exceed 0.01 per cent of the total duty paid clearances of the particular goods for home consumption during the preceding month. | Drawn for bona fide trade purposes. |
| 5. | Man-made fabrics. | Not exceeding 92 centimetres in length by full width. | Drawn as samples for overseas market. |

[F. No. 349/1/82-TRU]

(सं० 228/82—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क)

सा० का० नि० 610 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944, के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 177/70—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तारीख 21 नवम्बर, 1970 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में क्रम संख्या 16 और उससे सम्बद्ध प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

[फा० सं० 349/1/82-टी०आर०यू०]

आर० के० चक्रवर्ती, उप-सचिव

(No. 228/82-CENTRAL EXCISES)

G.S.R. 610(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 171/70—Central Excises, dated the 21st November, 1970, namely :—

In the Table annexed to the said notification, Sl. No. 16 and the entries relating thereto shall be omitted.

[F.No. 349/1/82-TRU]

R. K. CHAKRABARTI, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1982